आज्ञा | प्रार्थी द्वारा वकील गैरहाजिर। वकील गैरहाजिर। पत्रावली पेश बार-बार रोक-रोक कर न्यायालय समक्ष न्यायालय (नगर) समीक्षा तक आवेदक लगातार जयपुर वकील गैरहाजिर गैरहाजिरी और कोई अपील नहीं हुआ। अतः वकील की गैरहाजिरी वाद अग्रिम सुनवाई आगे पेशी में लिया जाता है। प्रार्थी आवेदक को अगले वाद दिन पेशी मुकर्रर किया जाता है।

प्रार्थी आवेदक 9/03/2022 को दूसरा न्यायालय के सुनवाई

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.06.13 12:39:50 IST
Reason: SelfAttested